पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल श्री नाईक की अध्यक्षता में गठित समिति ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सहित अन्य चार प्रदेशों के राज्यपाल सदस्यगण
कृषि क्षेत्र की उन्नति हेतु दिये समिति ने दिये सुझाव

दिनांक: 26 अक्टूबर, 2018

किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की दृष्टि से गठित पांच सदस्यीय राज्यपालों की समिति ने राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक के नेतृत्व में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस अवसर पर वरिष्ठतम राज्यपाल श्री ई0एस0एल0 नरसिम्हन आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, कर्नाटक के राज्यपाल श्री वजुभाई वाला, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत एवं मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति को प्रस्तुत 48 पृष्ठीय रिपोर्ट में समिति ने अन्य 22 प्रदेशों के राज्यपाल/उप राज्यपालों के सुझावों का समावेश करते हुये 21 मुख्य संस्तुतियाँ की हंै। उल्लेखनीय है कि 4 एवं 5 जून, 2018 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन से पूर्व एक औपचारिक बैठक में 3 जून, 2018 में 'अप्रोच टू एग्रीकल्चर - ए होलिस्टिक ओवरव्यू' विषय पर सुझाव देने हेतु उक्त समिति का गठन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, हिमांचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के राज्यपालों को सदस्य नामित किया गया था। राज्यपालों के सम्मेलन में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई थी।

राष्ट्रपति को प्रेषित रिपोर्ट में किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना किये जाने के दृष्टिगत कृषि क्षेत्र के मुख्य पक्षों, (1) खाद्य सुरक्षा (2) स्वास्थ्य सुरक्षा (3) ऊर्जा सुरक्षा (4) जल सुरक्षा तथा (5) पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। रिपोर्ट में वर्तमान में देश की कृषि की स्थिति एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परिदृश्य तथा कृषि क्षेत्र के सम्मुख खड़ी चुनौतियों की विवेचना करते हुए चिन्हित मुद्दों की समीक्षा एवं भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये है।

राज्यपाल श्री नाईक ने बताया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती, घटते प्राकृतिक संसाधनों, घटती औसत जोत आकार, प्रति इकाई निवेश के सापेक्ष घटती उत्पादकता, सीमित भण्डारण एवं प्रसंस्करण तथा उपयुक्त बाजार व्यवस्थाओं के आलोक में 21 मुख्य संस्तुतियां समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गयी है। बदलते पर्यावरणीय परिवेश के दृष्टिगत निवेश दक्ष संकर/प्रजातियों के विकास की महत्ता पर जोर देते हुए 'विशेष कृषि जोन' तथा क्षेत्रीय क्षमताओं के अनुकूल फसल विशेष के केन्द्र स्थापित करने पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय संसाधनों की उपलब्धता एवं जलवायु की उपयुक्तता को संज्ञान में लेते हुए फसल चक्र विकसित करने तथा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु कम उत्पादन किन्तु अधिक महंगी फसलों के उगाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी है। कुछ राज्यों के सुझावों विशेष रूप से जहां रोपित फसलों के अन्तर्गत ज्यादा क्षेत्रफल है, वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम

की दर 5 प्रतिशत से घटाकर फसलों की भांति 2.5 प्रतिशत किये जाने पर विचार किये जाने का सुझाव भी दिया गया है। समिति द्वारा केन्द्रीय सहायतीत कृषि विकास योजना के तहत केन्द्र एवं राज्यांश 60ः40 के स्थान पर पुराने सिद्धान्त के अनुसार 90ः10 के अनुपात में छोटी जोतो को लाभकारी बनाने हेतु सहायता प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया है। इस सिद्धान्त के लागू होने से उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा आदि राज्यों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कृषि कार्यों के सम्पादन विशेष रूप से कटाई एवं रोपाई के समय मनरेगा कार्यक्रम के कारण मजदूरों की उपलब्धता की समस्या को संज्ञान में लेते हुए सुझाव दिया गया कि मनरेगा को कृषि क्षेत्र की लाभकारी गतिविधियों/ क्रिया-कलापों से जोड़ा जाये।

श्री नाईक ने बताया कि समिति द्वारा वर्तमान फसल मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के फलस्वरूप फसल चक्र प्रभावित होना महसूस किया गया उदाहरण स्वरूप धान एवं गेहूँ के अपेक्षाकृत बेहतर मूल्य तथा दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लाभकारी मूल्य निर्धारित न होने के कारण फसल चक्र में दलहनी एवं तिलहनी फसलों का समावेश अपेक्षानुकूल नहीं हो सका है। समिति द्वारा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को फसल चक्र के अनुसार निर्धारित करने पर जोर देने के साथ ही विभिन्न राज्यों की मांग के दृष्टिगत नई फसलों यथा-ग्वार, अरण्डी, मसाले (अदरक, लहसुन, हल्दी) तथा सुगन्धित एवं औषधि की फसलों को मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत लाने का सुझाव दिया है। छोटी जोतों को लाभकारी बनाने वर्तमान बाजार व्यवस्था के आलोक में बाजार व्यवस्थित 'अनुबन्ध खेती' पर समग्र रूप में विचार किये जाने का सुझाव भी समिति द्वारा दिया गया है।

राज्यपाल श्री नाईक ने बताया कि वर्तमान उपलब्ध तकनीके अधिकांशतया पुरूष प्रधान हैं जबकि छोटी जोतों के अलाभकारी होने के फलस्वरूप पुरूषों का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन होने के कारण खेती में कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में महिला हितैषी तकनीकों के विकास तथा महिला कृषिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को तैनात किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण तथा विभिन्न सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु 'कृषक शिकायत निवारण सेल' की स्थापना जनपद स्तर पर किये जाने

राज्यपालों की समिति ने भूमि, जल, बीज, उर्वरक, ऊर्जा, बाजार आदि मुद्दों को सरलीकृत किये जाने की तत्काल आवश्यकता जतायी है ताकि वास्तविक कृषकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाया जा सके। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये ऊर्जा की उपलब्धता नितान्त महत्वपूर्ण होने के दृष्टिगत ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सौर एवं पवन ऊर्जा को ग्रिड सप्लाई से जोड़ने का सुझाव दिया गया है। समिति द्वारा कुपोषण निवारण हेतु आंगनबाड़ी को आधुनिकृत किये जाने हेतु 'काॅर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी फण्ड' का सदुपयोग किये जाने का भी सुझाव दिया गया है।

अंजुम/ललित/राजभवन (410/35)

NARASIMHAN
SHRI RAM NAIK

NARASIMHAN
SHRI RAM NAIK